बिहार सरकार

बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम

चतुर्थ तल, सोन भवन, वीर चंद पटेल मार्ग (आर० ब्लॉक), पटना– 800 001

पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं के लिए NET, GATE, JRF (CSIR), Ph.D, M.Phill आदि परीक्षाओं की तैयारी हेतु परीक्षा पूर्व निःशुल्क प्रशिक्षण (कोचिंग) हेतु आवेदन–पत्र का आमंत्रण।

मुख्यमंत्री व्यवसायिक पाठ्यक्रम मार्गदर्शन एवं उत्प्रेरण योजनान्तर्गत पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना के दिशा निर्देशन में संचालित पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्र–छात्राओं को **NET, GATE, JRF (CSIR), Ph.D, M.Phill** आदि प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण (कोचिंग) हेतु राज्य में कुल छः (06) विश्वविद्यालय क्रमशः 1. पटना विश्वविद्यालय, पटना 2. पाटलीपुत्रा विश्वविद्यालय, पटना 3. तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर 4. ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा 5. डॉ० बाबा साहेब अम्बेंडकर बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर 6. भूपेन्द्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा में स्थापित (CARRIER GUIDANCE CENTRE) में **NET, GATE, JRF (CSIR), Ph.D, M.Phill** आदि प्रतियोगिता परीक्षाओं में चयनित होने के लिए परीक्षा पूर्व निःशुल्क प्रशिक्षण (कोचिंग) हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जा रहे है।

प्रत्येक मुख्यमंत्री व्यवसायिक पाठ्यक्रम मार्गदर्शन एवं उत्प्रेरण केन्द्र (CARRIER GUIDANCE CENTRE) पर 60 छात्र–छात्राओं को एक बैच (प्रशिक्षण अवधि–6 माह) संचालित कराये जायेगें। उपलब्ध सीटों में पिछड़ा वर्ग के लिए 40 प्रतिशत एवं अति पिछड़ा वर्ग के लिए 60 प्रतिशत सीट अनुमान्य हैं। दोनों कोटियों में छात्राओं के लिए 33 प्रतिशत छैतिज आरक्षण अनुमान्य है। पिछड़ा वर्ग के छात्र–छात्राओं के अनुपलब्धता की स्थिति में अति पिछड़ा वर्ग छात्र–छात्राओं एवं अति पिछड़ा वर्ग छात्र–छात्राओं के अनुपलब्धता की स्थिति में पिछड़ा वर्ग के छात्र–छात्राओं नामांकन किया जायेगा। छात्र छात्राओं का चयन संबंधित केन्द्र द्वारा लिखित परीक्षा/**Counselling** के माध्यम से किया जायेगा।

छात्र/छात्रा की पात्रताः–

- छात्र/छात्रा बिहार राज्य के स्थायी निवासी हों।
- पिछड़ा वर्ग अथवा अति पिछड़ा वर्ग के सदस्य हों।
- छात्र/छात्रा अथवा उनके अभिवावक की अधिकतम वार्षिक अद्यतन आय सभी स्रोतों को मिलाकर रू०–3,00,000/– होनी चाहिए।
- छात्र/छात्रा की आयु सीमा एवं न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता संबंधित कोर्स के अंतर्गत होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा के लिए निर्धारित न्यूनतम अर्हता के अनुरूप होनी चाहिए।

आवेदन कैसे करें :–

- विहित प्रपत्र में पूर्ण आवेदन–पत्र https://state.bihar.gov.in /bcebcwelfare/CitizenHome.html_से डाउनलोड किया जा सकता है। आवेदन संबंधित निदेशक, मुख्यमंत्री व्यवसायिक पाठ्यक्रम मार्गदर्शन एवं उत्प्रेरण केन्द्र (CARRIER GUIDANCE CENTRE) को निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से समर्पित किया जाना है। अभ्यार्थी स्वयं भी संबंधित प्राक् परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र के कार्यालय में आवेदन पत्र समर्पित कर सकते हैं।
- छात्र–छात्राओं का चयन संबंधित विषय के बहु–विकल्पीय लिखित परीक्षा/ **Counselling** के माध्यम से किया जायेगा।
- केवल एक ही केन्द्र के लिए आवेदन पत्र स्वीकार किये जायेगें।
- आवेदन–पत्र बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, पटना में जमा न करें।
- प्राक् परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्रों में छात्रावास की व्यवस्था नहीं है।
- आवेदन पत्र की प्रक्रिया तथा दिशा–निर्देश https://state.bihar.gov.in /bcebcwelfare/CitizenHome.html के सूचनापट से डाउनलोड किया जा सकता है।
- नामांकन संबंधी विशेष जानकारी दूरभाष संख्या–0612–2226099 से प्राप्त की जा सकती है।

प्रबंध निदेशक